झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (विविध) – 04/2023 - 291

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 24/10/2025

विषयः– PDS डीलरों के बकाया कमीशन तथा जन वितरण प्रणाली से संबंधित समस्याओं के निवारण संबंधी प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि श्री अजय कुमार, ग्राम–महाराजा, पो0+प्र0–लेस्लीगंज, जिला–पलामू का आवेदन पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। आवेदनकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र में PDS डीलरों द्वारा NFSA एवं PMGKAY योजनान्तर्गत अनाज वितरण का कमीशन कई महिनों से नहीं मिलने, ई–पॉस मशीन के रखरखाव या सर्विस चार्ज के नाम पर अतिरिक्त वसूली, FPS लाईसेंस ट्रांसफर की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं रहने, Digital Weighing Machine के नवीनीकरण एवं रखरखाव से संबंधित समस्या एवं ई–पॉस मशीन की मरम्मती एवं नेटवर्क की समस्या का उल्लेख करते हुए इनके समाधान का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/10/25

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Anju\Letters.docx59

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
Email-jharfoodcommission@gmail.com

प्राप्त 10/10/25 (110)

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय/महोदया,

झारखंड राज्य खाद्य आयोग, रांची

M.S 13.10.25

विषय:
NFSA एवं PMGKAY के अंतर्गत बकाया **FPS/PDS डीलर कमीशन / मार्जिन राशि** तथा जन **वितरण प्रणाली से संबंधित प्रमुख समस्याओं** के निराकरण हेतु निवेदन।

14/10/25

739 14/10/25

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं **अजय कुमार**, ग्राम – महाराजा, पोस्ट/ब्लॉक – लेसलीगंज, जिला – पलामू का निवासी हूँ।
मैं यह आवेदन जन वितरण प्रणाली (PDS/FPS) से संबंधित दुकानदारों द्वारा दी जा रही शिकायतों एवं व्यावहारिक कठिनाइयों को आपके संज्ञान में लाने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि इन विषयों पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

मुख्य समस्याएँ :

1. अनेक FPS दुकानदारों को वितरण पूर्ण होने के बावजूद NFSA एवं PMGKAY योजनाओं का कमीशन कई महीनों से नहीं मिला है।
2. ePOS मशीन के रखरखाव या सर्विस चार्ज के नाम पर अतिरिक्त वसूली की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
3. FPS लाइसेंस ट्रांसफर से संबंधित प्रक्रिया PDS Control Order में अध्याय–III, धारा 15 में उल्लिखित है, परंतु विभाग द्वारा स्पष्ट कार्यविधि/प्रक्रिया (Standard Process) निर्धारित नहीं की गई है। फलस्वरूप, लाइसेंस ट्रांसफर में अनिश्चितता एवं मनमानी की स्थिति बनी रहती है।
4. **पेपरलेस व्यवस्था का अभाव:**
   वर्तमान में संपूर्ण वितरण, स्टॉक रजिस्टर, परिवहन, वितरण रिपोर्टिंग और निरीक्षण कार्य ऑनलाइन एवं डिजिटल प्रणाली से हो रहे हैं। ऐसे में अब भी दुकानदारों से कागज़ी रजिस्टर रखने की बाध्यता जारी है।
   - **संदर्भ – बिहार राज्य (Gazette Notification, 11 अगस्त 2025):**
     - **मुख्य संशोधन बिंदु:**
       धारा 14(iv): राशन कार्डधारकों और लाइसेंसधारकों के रिकॉर्ड जैसे स्टॉक रजिस्टर, इश्यू रजिस्टर आदि अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाएंगे, जिन्हें विभागीय पोर्टल से देखा जा सकेगा।
5. **डिजिटल वज़नी मशीन/तराजू से संबंधित समस्या:**

- डिजिटल तराजू लाइसेंस नवीनीकरण की जिम्मेदारी भी दुकानदारों पर डाली गई है, जबकि इसे विभागीय स्तर पर प्रबंधित होना चाहिए। क्योंकि मशीनें विभाग द्वारा अधिकृत वेंडर से दी गई हैं।
- विभाग द्वारा वितरित डिजिटल वज़नी मशीन मशीनों के रखरखाव हेतु दुकानदारों से अनावश्यक शुल्क लिया जा रहा है (उदा. डिजिटल कंसोल मदर बोर्ड ₹1700, लोड बैलेंसर ₹800–900)।

(109)

6. ePOS मशीन और Smart PDS से संबंधित समस्या:

- अधिकांश दुकानदारों के पास अभी भी 2G/3G ePOS मशीनें हैं, जिनमें लगातार तकनीकी और सर्वर संबंधी समस्याएँ आती हैं, जिससे वितरण प्रभावित होता है। और अधिकृत वेंडर द्वारा Epos मशीन मरम्मति के नाम पर अवैध वसूली PDS डीलरों से की जाती है|
- विभाग कई वर्षों से 4G मशीनें देने का वादा कर रहा है, लेकिन अभी तक सभी को नहीं मिली हैं, जिससे वितरण प्रक्रिया की गति और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है।

विनम्र अनुरोध :

1. NFSA एवं PMGKAY योजनाओं के अंतर्गत बकाया कमीशन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
2. FPS लाइसेंस ट्रांसफर प्रक्रिया हेतु स्पष्ट विभागीय कार्यविधि (SOP) जारी की जाए।
3. पेपरलेस रिकॉर्ड व्यवस्था को लागू करने हेतु राज्यस्तरीय अधिसूचना/आदेश जारी किया जाए।
4. ePOS, वज़नी मशीन एवं अन्य शुल्क संबंधी नियमों की समीक्षा कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
5. डिजिटल वज़नी मशीन/तराजू के **लाइसेंस नवीनीकरण की जिम्मेदारी** विभागीय स्तर पर सुनिश्चित की जाए, ताकि दुकानदारों पर अनावश्यक आर्थिक भार न पड़े।
6. डिजिटल वज़नी मशीन, तराजू और ePOS/Smart PDS से संबंधित **सभी तकनीकी और मेंटेनेंस समस्याओं** (जैसे मशीन खराबी) को विभागीय स्तर पर समय पर हल करने हेतु स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए।
7. 2G/3G ePOS मशीनों को जल्द से जल्द 4G मशीनों से बदला जाए ताकि Smart PDS वितरण प्रक्रिया सुचारू, तेज और पारदर्शी हो।

यह आवेदन जनहित में प्रस्तुत है, ताकि वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, सरल और समयानुकूल बनाई जा सके।
आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा की जाए।

इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा

भवदीय,

(अजय कुमार)
ग्राम – महाराजा, पोस्ट/ब्लॉक – लेसलीगंज,
जिला – पलामू
मोबाइल नं.: 9801372953
दिनांक: 08 अक्टूबर 2025

प्रतिलिपि:

श्रीमान सचिव महोदय -खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग – रांची, झारखंड